न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांता रामगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद गौड़ R.A.S

मु० नं. 84/2014

1. श्रीमति चन्दा देवी पुत्रि अमरा राम पत्नि जयपाल उर्फ भंवर सिंह
2. श्रीमति केला देवी पुत्रि अमरा राम पत्नि ख्वारियां
   निवासीगण ग्राम लोसल हाल आबाद दिल्ली
3. बबलू पुत्र प्रकाश जाति स्वामी निवासी लोसल हाल आबाद फुलेरा

आवेदकगण

बनाम

1. श्रीमति पांचुडी पत्नि अमरा राम
2. परमा राम उर्फ धरमू पुत्र अमरा राम
3. सोनू पुत्र अमरा राम
   समस्त जाति स्वामी निवासी लोसल हाल आबाद श्री नगर
4. तहसीलदार, तहसील दांता रामगढ़
5. उप पंजीयन अधिकारी, लोसल तहसील दांता रामगढ़
6. सरोज पत्नी मुकेश जाति स्वामी निवासी लोसल

अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 88 राज० काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़(सीकर)

उपस्थित : ① वकील श्री हरसहाय [illegible]

② वकील श्री वंशीधर बाज्या
③ वकील श्री कानसिंह राठ.
④ वकील श्री भंवर सिंह शेखावत

निर्णय दिनांक 9.10-2019

निवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-

आवेदनपत्र के अनुसार विवादित भूमि ग्राम लोसल के खसरा नं 932 रकबा 2.23 है जिसके पुराने खसरा नं 291 है। विवादित भूमि चतरा के नाम 1/2 हक हिस्सा में थी। मृतक चतरा पुत्र ऊमा के तीन पुत्र अमरा राम, बाबूलाल, भोलाराम हुए इन तीनों की मृत्यु हो चुकि है। मृतक चतरा के विरासत का नामान्तकरण संख्या [illegible] दिनांक 17/6/1999 चतरा के तीनो पुत्रो की जगह अकेले अमरा राम के नाम खोला दिया गया। मृतक अमरा राम के विरासत का नामान्तकरण संख्या 517 दि. 28-3-2005 उसके वैध वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम खोला जाना चाहिये था जो केवल 1 ता 3 के नाम खोलदिया गया। गलत खातेदारी की आड़ में श्रीमति सरोज प्रतिवादिया संख्या 24 को अनुचित लाभ दिये जाने की गरज से विक्रय पत्र करवादिया गया। गलत विक्रयपत्र का नामान्तकरण संख्या 545 दिनांक 25/8/2005 खोला गया। उपरोक्त तीनो नामान्तकरण प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य हैं। विवादित संपत्ति भूमि

[illegible]

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना (सीकर)

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की पैतृक संपदा है, जिसमें उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत सभी का हक व हिस्सा प्राप्त है। सभी वारिसान का हक हिस्सा के अनुसार कब्जा काश्त है। यदि अनावेदकगण अपने उद्देश्य में सफल हो गये तो आवेदकगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः अनावेदकगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

आवेदन दर्ज किया जाकर अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। 1,3,6 अनावेदकगण जरिये वकील हाजिर आये तथा जवाब प्रस्तुत किया। अनावेदिका संख्या एक के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। संख्या 1 व 3 ने जवाब में आवेदन को स्वीकार किया है। संख्या 6 ने जवाब में अंकित किया कि आवेदन में अंकित भूमि पर आवेदकगण का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा तथा उस भूमि से आवेदकगण का संबन्ध व सरोकार नहीं है। मृतक चतरा राम के अमरा राम एकही लड़का था जो 10.12 वर्ष पूर्व फौत हो गया। अमराराम के वारिस अनावेदक संख्या 1 ता 3 हैं इनके अलावा अमराराम के अन्य कोई वारिस नहीं थे। उत्तरदाता ने उक्त आराजियात अनावेदक

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़ (सीकर)

Scanned with CamScanner

...कर रखा...

संख्या 1 ता 3 ने क्रय कर लिया था विवादित
2005 में ही संभाल लिया था। नामान्तकरण 201 जरिये
6 के पक्ष में विधिवत नामान्तकरण नं. ...
हो तस्दीक हो गया था। आवेदकगण अनावेदक सं.
बाहर के व्यक्ति हो सकते हैं जो कि अनावेदक से
6 को परेशान करने की गरज से
यह आवेदन पेश किया है जो मय हर्जा खर्चा
खारिज किया जावे।

अधिवक्ता उभय बहस सिद्धान्त

पक्षकार सुनी गई। दोनों बहस वकील
आवेदकगण ने आवेदन में अंकित तथ्यों
को दोहराया तथा वकील अनावेदक ने
जवाब आवेदन में अंकित तथ्यों को
दोहराया। हमने बहस पर मनन किया तथा
पत्रावली को गौर से अध्ययन किया। पक्षका-
रान के हक व अधिकार तो मूल वाद में
तय होना है। अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन
में तो तीन बिन्दुओं पर विचार किया जाना
है। (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा
का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति।

(1) प्रथम दृष्टया मामला:- इस आवेदन के
मूलवाद चालू खसरा राज का सजरा खानदान अंकित
किया है। सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी

5 [illegible]

...(फास्ट ट्रैक)
...(सीकर)

Scanned with CamScanner

संख्या 1 ता 4 चतरा के वारिस हैं। इसी प्रकार मृतक मकराराम के वारिस प्रतिवादी सं. 1 ता 11 अंकित किया है। अनावेदिका सं. 6 सरोज देवी पत्नि अशोक कुमार ने दिनांक 13/6/014 को केवियट प्रस्तुत की है, केवियट में संकलित वादी, अप्रार्थीगण के रूप में 1) चांद 2) केला देवी 3) संतरा देवी पुत्रियाँ मकराराम जाति सांसी निवासी लोसल अंकित किया है जबकि जवाब में नकारते हुए अनावेदक सं. 1 ता 3 को ही मकराराम का वारिस स्वीकार किया है। केवियट व जवाब प्रस्तुत कर्ता सरोज ने केवियट व जवाब में वारिस अलग अलग अंकित किया है जो कि विरोधाभासी है। केवियट के अनुसार अनावेदिका संख्या 6 ने आवेदकगण को मृतक मकराराम का वारिस स्वीकार किया है। अतः केवियट के अनुसार आवेदकगण मृतक मकराराम के वारिस हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण के पक्ष में साबित है।

2) सुविधा का संतुलन 3) अपूर्तनीय क्षति :-

जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 के अनुसार मृतक चतराराम गुमानाराम विवादित भूमि का 1/2 हिस्सा स्वयं खातेदार अंकित है। चतराराम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

की मृत्यु पर विरासत में अमरा राम उ...
राम दर्ज हुई थी अमरा राम के फौत होने ...
पांचुड़ी धर्म पत्नि अमराराम, धर्माराम, सोना...
अमरा राम के दर्ज हुई है जबकि सजना रवा...
के अनुसार चतरा राम व अमरा राम के
मन्य की वारिस है जबाब आवेदन में अना-
वादक सं. 2, 7 ने आवेदन को स्वीकार किया
है तथा अनावेदक सं. 6 सरोज पत्नि अशोक
जिसने विवादित भूमि क्रय की है ने कैविएट
में आवेदक कर्ता को भी मृतक अमरा राम
के वारिस अंकित किया है। वारिस होने के
नाते अगर विवादित भूमि खुर्द बुर्द होती है
तो आवेदकगण को अपूरणीय क्षति होने का
अंदेशा है। अतः बिन्दु संख्या (2) सुविधा
का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति आवेदकगण
के पक्ष में निर्णित की जाती है। आवेदकगण
के पक्ष में साबित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर
आवेदन आवेदकगण स्वीकार किया जाकर
अनावेदकगण को ता दावा दौराने पाबन्द
किया जाता है कि ग्राम लोसल्ला के नये
खसरा नं. 932, पुराने खसरा नं. 291 के

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़ (सीकर)

(7)

रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे, विक्रय तथा हस्तान्तरण नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 9-10-2014 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

Scanned with CamScanner